निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्याः–138/2024 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांकः– 20/11/2024
निर्णय दिनांकः– 09/04/2025

अनवान

1. राजेन्द्र कंवर पत्नि दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. अर्जुन पिता बद्री जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. अणछी पत्नि बद्री जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. इन्द्री पत्नि सवा जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. दिनेश पिता सवा जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. पहाड़ाराम पिता नेनु जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. बाबुलाल पिता नेनु जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. मोहन पिता सवा जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

8. रणजी पिता बद्री जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. रतन पिता सवा जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. शंकर पिता जगु जाति रेबारी निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. मेरमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. तहसीलदार देवगढ़ जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थीया की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 327 खसरा संख्या 983, 984, 985 कुल किता 03 कुल क्षैत्रफल 4.0100 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे की हैं उक्त भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की होकर प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज हैं परन्तु प्रार्थीया की भूमि में जाने का रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीया की भूमि में ट्रेक्टर वगैरा प्रवेश नही कर सकते है। प्रार्थीया की भूमि के पास अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 10 की भूमि आराजी संख्या 1111 व अप्रार्थी संख्या 11 की भूमि आराजी संख्या 1113 व अप्रार्थी संख्या 12 की भूमि आराजी संख्या 1120 / 1177 स्थित हैं जिससे होकर प्रार्थीया व उसके परिवारजन अपनी कृषि आराजीयात में प्रवेश कर सकते हैं व पगडण्डी रूपी रास्ते से अपनी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

कृषि भूमि में प्रार्थीया व उसके परिवारजन आ जा रहे हैं तथा इसी आराजी से प्रार्थीया कृषि उपकरण, हल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर कल्ट ईत्यादि का आवागमन अप्रार्थीगण की भूमि में होकर किया जा सकता है। अप्रार्थीगण की भूमि के अलावा प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण रास्ता देने को तैयार नहीं है। प्रार्थीया का उद्वेश्य प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन कर उसका उपभोग उपयोग करना है। प्रार्थीया की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है। इस कारण प्रार्थीया आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया की खातेदारी उपरोक्त भूमि के आगे की तरफ अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1111, 1113 व 1120/1177 स्थित है जो रास्ते से लगी हुई है। जिसके अप्रार्थीगण खातेदार है। जो वर्तमान में काश्त कर काबिज है। आराजी संख्या 1111, 1113 व 1120/1177 में से रास्ता चाहा गया है जिससे प्रार्थीया आराजीयात में प्रवेश कर सकते है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि में से 20 फीट चोड़ा रास्ता चाहा गया है। जिससे प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अपने बैल, हल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण एवं मवेशी इत्यादि ला लेजा सकेंगे। प्रार्थीया को अपनी भूमि में आवागमन के अधिकार बाधित होकर प्रार्थीया की भूमि में आने जाने के लिए आराजी संख्या 1111, 1113 व 1120/1177 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1111, 1113 व 1120/1177 में से प्रार्थीया की आराजी संख्या 64, 65, 67 में आवागमन (रास्ता) 20 फीट चौड़ा को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्ते के रूप में कायम किया जाना आवश्यक है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम करने के लिए जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है प्रार्थीया अदा करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1111, 1113 व 1120/1177

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

भूमि में आवागमन का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में दिया गया है उस 20 फीट चौड़े रास्ते का राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावें एवं रास्ते की भूमि बिलानाम दर्ज की जाकर प्रार्थीया का आवागमन सुनिश्चित किया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया कि प्रार्थिया की भूमि में जाने के लिये रास्ता मौजूद है उसी रास्ते का वह आने जाने के लिये उपयोग उपभोग कर रही है। अप्रार्थी संख्या 11 की भूमि में से कभी भी प्रार्थिया के आवागमन की आवाजाही नहीं रही है नही रास्ता मौजूद था जिससे प्रार्थिया ने आवागमन किया हो। प्रार्थिया काश्तकार हल, ट्रेक्टर, बैल ले जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता हो बल्कि प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि के खनन व मार्बल निकालने के कार्य की व्यवसायिक गतिविधियों के लिये अपने पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अप्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया द्वारा जिस भूमि में जाने के लिए रास्ते की मांग की है यह कहकर की प्रार्थिया द्वारा कृषि कार्य किया जाता है वो सरासर गलत है क्योंकि उक्त भूमि बंजड़ है जिस पर कृषि कार्य किया ही नहीं जा सकता है। प्रार्थिया के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है परन्तु मात्र अपनी सहुलियत हेतु प्रार्थिया अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते की मांग कर रही है जो मांग सरासर गलत है। प्रार्थना पत्र की पद संख्या 01 अस्वीकार है प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 11 की आराजी में से होकर कभी आवागमन नहीं रहा है। प्रार्थिया की उक्त भूमि में जाने का अन्य रास्ता मौजूद है एवं वही से वह हमेशा आ जा रही है व उपयोग उपभोग करती आ रही है। प्रार्थना पत्र की पद संख्या 02 अस्वीकार है। प्रार्थिया की भूमि जाने हेतु रास्ता

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

मौजूद है एवं उसी रास्ते का प्रार्थिया के पूर्वाधिकारी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 11 की भूमि में से प्रार्थिया की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की पद संख्या 03 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थिया की भूमि में जाने का सदीप से वास्तविक एवं भौतिक रास्ता पहले से उपलब्ध है जिस कारण प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 11 की आराजीयात से रास्ता प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 04 अस्वीकार है प्रार्थिया ने मिथ्या व गलत तथ्य अंकित किये है प्रार्थिया की कृषि भूमि में जाने के लिये पहले से रास्ता मौजूद है तथा उसी रास्ते का उपयोग कर वह अपनी भूमि में आ जा रही है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 अस्वीकार है प्रार्थिया की भूमि में जाने के लिये पहले से रास्ता मौजूद है एवं उसी रास्ते का प्रार्थिया के पूर्वाधिकारी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इस कारण प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 11 की भूमि से रास्ते की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 06 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 07 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 08 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 से 10 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थिया का उसकी उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 से 10 की भूमि से होकर कभी आवागमन नहीं रहा है। जबकि प्रार्थिया की उक्त भूमि में जाने का अन्य रास्ता मौजूद है एवं वही से वह हमेशा अपनी भूमि में आ जा रहे है व उपयोग उपभोग करते रहे है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 अस्वीकार है। प्रार्थिया की भूमि में जाने के लिये रास्ता मौजूद है एवं उसी रास्ते का प्रार्थिया के पूर्वाधिकारी उपयोग उपभोग करते आये है। जिसके फोटोग्राफ्स उक्त जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थिया के पूर्वाधिकारियों व प्रार्थिया की कभी विपक्षीगण की आराजीयात में से आवाजाही नहीं है। विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

द्वारा कई वर्षों से अपने भूमि की सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल बना रखी है। इस कारण विपक्षीगण की भूमि में से प्रार्थिया को रास्ते की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थिया की भूमि में जाने का सदीप से वास्तविक एवं भौतिक रास्ता पहले से उपलब्ध है, जिस कारण प्रार्थिया विपक्षीगण की आराजीयात से रास्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 अस्वीकार है। प्रार्थिया ने मिथ्या व गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थिया की कृषि भूमि में जाने के लिये पहले से रास्ता मौजूद है तथा उसी रास्ते का उपयोग कर वह अपनी भूमि में आ जा रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 अस्वीकार है। प्रार्थिया की भूमि में जाने के लिये रास्ता मौजूद है एवं उसी रास्ते का प्रार्थिया के पूर्वाधिकारी उपयोग उपभोग करते आये है। जिसके फोटोग्राफ्स उक्त जवाब के साथ संलग्न है। इस कारण विपक्षीगण की भूमि में से प्रार्थिया को रास्ते की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06, 07 व 08 कानूनी है। शेष प्रार्थना है जो अस्वीकार है। जवाब के विशेष कथम में उल्लेखित है कि प्रार्थिया की भूमि में जाने का पहले से ही रास्ता मौजूद है एवं उसी रास्ते का वह आने जाने के लिये उपयोग उपभोग कर रही है। विपक्षीगण की भूमि में से कभी प्रार्थिया की आवाजाही नहीं रही है एवं विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों के समय से ही उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ फसलों की सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल की हुई है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है प्रार्थिया काश्तकार होकर हल, ट्रैक्टर, बैल लाने ले जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता हो बल्कि प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि के खनन व मार्बल निकालने के कार्य की व्यवसायिक गतिविधियों के लिये अपने पास वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद विपक्षीगण की भूमि को जबरन हड़पने की गरज से यह मिथ्या प्रकरण दर्ज कराया गया है एवं प्रार्थिया द्वारा उक्त भूमि में किसी प्रकार की कृषि एवं खेती वगैरह नहीं की जाती है, क्योंकि उक्त भूमि बंझड़ है। विपक्षीगण रेबारी

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

जाति के होकर उनका आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि एवं पशुपालन ही है एवं विपक्षीगण के पास अपनी आजीविका की पूर्ति के लिये एवं कृषि के लिये उक्त कम कृषि भूमि ही है। ऐसे में अगर आप न्यायालय द्वारा प्रार्थिया को उसकी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता होने के बावजुद एक और रास्ता विपक्षीगण की भूमि में से दे दिया जाता है तो विपक्षीगण अपनी आजीविका नहीं चला पायेंगे एवं भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थिया के खेत पर जाने के लिये रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया की भूमि पर जाने के लिये रास्ता प्रस्तावित कर मय नकल संलग्न है। प्रस्तावित भूमि के वर्तमान में खाली पड़ी है एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण, पेड़ व फसल नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की कुल 504 मीटर लम्बाई व चौड़ाई 06 मीटर है जो आराजी संख्या 1120 / 1177 में से 60*6 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1113 में से 164*6 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 1111 में से 280*6 वर्गमीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया है, रास्ते में कुल भूमि 3024 वर्गमीटर आती है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आराजी संख्या 1111 रकबा 1.9800 हैक्टेयर अणछी पत्नी बद्री वगैराह जाति रेबारी, आराजी संख्या 1113 रकबा 0.9400 हैक्टेयर मेरमसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत एवं 1120 / 1177 रकबा 1.06 हैक्टेयर बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है कि:– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डावाड़ा पटवार हल्का स्वादड़ी बी तहसील देवगढ़ में प्रार्थिया की आराजी संख्या 983, 984, 985 कुल किता 03 कुल रकबा 4.0100 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु आराजी संख्या 1111, 1113 एवं 1120 / 1177 में तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया से उक्त रकबे की वर्तमान प्रचलित पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार,देवगढ़ एवं पटवार हल्का द्वारा पेश नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09 / 04 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)